

## **NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH**



Date: 8.5.2021

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C. Central Office: 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

NCRES/71/76/21

श्रीमान महाप्रबंधक नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय: – कोविड–19 के कारण अनुपस्थिति को नियमित किया जाना। संदर्भ:– (i) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या E(G)2020/LE2/1 दिनांक 3.9.2020

- (ii) NCRES का पत्र संख्या NCRES/71/21 कदिनांक 4.5.2021
- (iii) वेस्ट सेन्ट्र रेंलवे के पत्र संख्या WCR/PHQ/Ruling/Covid-19/Misc दिनांक 7.5.2021

महोदय,

अवगत कराना है कि भारतवर्ष में पिछले कुछ महीनो में आई कोविड—19 महामारी के दूसरे फेज में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कमोवेश सभी जिलो में लाकडाउन अथवा लाकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई है एवं कर्मचारी चाह कर भी बंदिशों के कारण अथवा कोविड—19 के संक्रमण से स्वयं या परिजनों के ग्रस्त होने के कारण आफिस नहीं आ पा रहा है लेकिन खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि NCRES के संदर्भित पत्र दिनांक 4.5.2021 द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद अभी तक नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों को उपरोक्त परिस्थितियों में स्पेशल CL दिये जाने का आदेश जारी नहीं किया गया।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने संदर्भित पत्र दिनांक 3.9.2020 के पैरा 4.5 एवं पैरा 9 द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि रेल कर्मचारी कोविड—19 में संक्रमित हुआ एवं वह हास्पिटल में या घर पर क्वारन्टीन रह कर इलाज करा रहा हो तो उसे 30 दिन तक की स्पेशल कैजुवल लीव दी जा सकती है एवं बीमारी के 30 दिन से ज्यादा बढ़ने पर उसके बाद उसकी स्वयं की छुट्टी (CL, LAP, LHAP) स्वीकृत की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे ने संदर्भित पत्र (संलग्न) दिनांक 7.5.2021 द्वारा उपरोक्त परिस्थिति में 30 दिन तक स्पेशल CL स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी किया है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि संदर्भित पत्र दिनांक 4.5.2021 में इंगित कारणो से बीमारी के फैलाव को रोकने एवं कर्मचारियों में स्पेशल CL न दिये जाने से बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुये वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे की तर्ज पर कोविड—19 से संक्रमित रेल कर्मचारी अथवा क्वारन्टीन हुये कर्मचारी को 30 दिन तक की स्पेशल CL स्वीकृत करने हेतु उचित आदेश करने कष्ट करें।

आर. पी. सिंह) महामंत्री

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

## File No.WCR-HQ0PERS(Rulg)/13/2020-O/o Dy.CPO(HQ)/WCR



GM's Office Personnel department Date 07.05.2021

No. WCR/PHQ/Ruling/covid-19/misc.

All PHODs DRMs- JBP,BPL,KTT CWMs- BPL, KTT

> Sub: Interim procedure order on regularization of absence during COVID-19 Pandemic lockdown period.

Ref: 1. Railway Board letter no. E(G)2020/LE2/1 Date 03.09.2020.

2. This Office letter of even no. dt 24.08.2020.

In view of second wave of COVID-19 pandemic across the country since last month which creates lockdown/ lockdown like situation in different district of West Central Railway. It has been decided to extend applicability of the interim procedure order dt. 03.09.2020 of Railway Board provisionally subject to final clarification by Railway Board.

In case Rly. Employee is infected with COVID-19 (Whether treatment at home or hospital), it is advised that the period should be treated as Special Casual Leave as per Para 4,5 and 9 of Board letter dt 03.09.2020. However it should not exceed 30 days. In case, more than 30 days required due to prolonged hospitalization or otherwise balance period of more than 30 days can be sanctioned as asked by employee i. e. commuted leave or any other kind of leave.

The regularization of absentee period should be made with the approval/countersign of JAG level officer.

If any order of Railway Board are contrary to the manner in which a particular absence period has been provisionally decided, it shall be reviewed and decided afresh.

This has the approval of competent authority.

Signed by Pankaj Kumar

(Pankaj Kumar sinha) Date: (17-05-2021 15:23:24 APO(Admn.) / WCR Reason: Approved

Copy – Secy to GM- for kind information of GM/WCR.

AGM- for kind information please
General secy. WCREU, WCRMS, AISC/STREA, and WCROBCREWA- for information please.